न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 22/2024
निर्णय दिनांक : 31.05.2024
GCMS NO : 2024/67 दायर दिनांक – 22.03.2024

भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री भंवरलाल, प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी वाके रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 585 में अंकित खेत खसरा संख्या 1671/967 है जिसमें प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र मांगुराम अंकित है व रोही कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 164 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र मांगु अंकित है, जो कि गलत है।

प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मांगीलाल है। प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम भिन्न–भिन्न होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाना चाहता है। जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत वाके रोही ग्राम जैतासर व कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

585 में अंकित खेत खसरा संख्या 1671/967 है जिसमें प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र मांगुराम अंकित है व रोही कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 164 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र मांगु अंकित है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम भंवरलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है। भंवराराम एवं भंवरलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरलाल पुत्र मांगीलाल किया जाना उचित है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र मांगीलाल ही दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 585 में अंकित खेत खसरा संख्या 1671/967 है जिसमें प्रार्थी का नाम *भंवराराम पुत्र मांगुराम* अंकित है व रोही कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 164 में प्रार्थी का नाम *भंवरलाल पुत्र मांगु* अंकित है के स्थान पर *भंवरलाल पुत्र मांगीलाल* दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़